



जनपद हमीरपुर

थाना- राठ

दिनांक 31.07.2026

थाना राठ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 259/26 धारा 191(2)/191(3)/103(1)/115(2)/352/288 बीएनएस से सम्बन्धित हत्या का वांछित अभियुक्त घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल के साथ गिरफ्तार।

घटना का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 29.07.2026 को थाना राठ पुलिस को एक व्यक्ति के मारपीट में घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर थाना राठ पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि वीरपाल पुत्र हरचरन, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी ग्राम कैथा थाना राठ जनपद हमीरपुर पर आरोपियों द्वारा आपसी विवाद के दौरान कुल्हाड़ी से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल वीरपाल की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।

पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए तथा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई गई। वादी विपिन राजपूत पुत्र वीरपाल निवासी ग्राम कैथा थाना राठ जनपद हमीरपुर से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना राठ पर मु0अ0सं0 259/2026 धारा 191(2), 191(3), 103(1), 115(2), 352, 288 भारतीय न्याय संहिता बनाम 1. द्रगसिंह पुत्र स्व0 बृजलाल, 2. रोहित पुत्र द्रगसिंह, 3. मोहित पुत्र द्रगसिंह, 4. कमलेश राजपूत पुत्र धीरसिंह, 5. कृष्णपाल पुत्र प्रतिपाल, निवासीगण ग्राम कैथा थाना राठ जनपद हमीरपुर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही-

आज दिनांक 31.07.2026 को थाना राठ पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमे से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त द्रगसिंह पुत्र स्व0 बृजलाल निवासी ग्राम कैथा थाना राठ जनपद हमीरपुर, उम्र लगभग 58 वर्ष को कैथा सदर नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद कुल्हाड़ी बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

द्रगसिंह पुत्र स्व0 बृजलाल (उम्र लगभग 58 वर्ष) निवासी ग्राम कैथा थाना राठ जनपद हमीरपुर।

गिरफ्तारी का स्थान-

कैथा सदर नहर पुल के पास

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद कुल्हाड़ी

पुलिस टीम-

1. निरीक्षक अनूप सिंह (प्रभारी निरीक्षक थाना राठ)
2. उ0नि0 शिवमणि मिश्रा
3. का0 दिलीप कुमार
4. का0 निर्भान सिंह राजपूत
5. रि0का0 बलवीर यादव

